

कार्यालय नायब तहसीलदार मगरलोड, जिला- धमतरी (छ0ग0)

// ज्ञापन //

मगरलोड, दिनांक 28.05.2025

क0/365/तह0/वाचक-2/2025

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)  
कुरुद, जिला- धमतरी (छ0ग0)

विषय :- संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत !

संदर्भ :- कार्या0अनु0अधि0 (रा0) कुरुद का पत्र क्रमांक 1266/अ0वि0अ0/वा-01/2025  
कुरुद, 15.05.2025 ।

—000—

संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक हरेन्द्र कुमार साहू पिता देवनारायण साहू जाति तेली, निवासी ग्राम बेलोरा, तहसील- मगरलोड स्थित भूमि खसरा नं0 630, 1649/1, 933/1 रकबा क्रमशः 0.23, 0.47, 0.17 हे0 के मेड़ पर स्थित साजा का वृक्ष लगा हुआ है । जिसे कंटाई किये जाने के संबंध में पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कुरुद के माध्यम से जांच प्रतिवेदन हेतु प्राप्त हुआ है ।

अतएव उक्त संबंध में संयुक्त जांच उपरांत प्रतिवेदन आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार !

*Dinata*  
नायब तहसीलदार  
मगरलोड

# लय वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर सिंगपुर परिक्षेत्र

E-mail – northsingpur@gmail.com

75870-11502

दिनांक / 06/2025

क्रमांक/उ.सिंगपुर/मोहदी/

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल धमतरी

द्वारा :- उपवनमण्डलाधिकारी धमतरी

विषय :- संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत। (आवेदक श्री हरेन्द्र कुमार साहू पिता देवनारायण साहू जाति

तेली ग्राम बेलोरा, तह0 मगरलोड)  
संयम :- आपका पत्र सं 13690 dt 4/6/2025 तथा SDM कुफुड का पत्र सं 11266 dt 15/5/2025  
==000==

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आवेदक श्री हरेन्द्र कुमार साहू पिता देवनारायण साहू जाति तेली ग्राम बेलोरा, तह0 मगरलोड जिला धमतरी द्वारा अपने निजी आबादी पट्टा भूमि प0ह0नं0 17 खसरा नं. 630/1, 649/1, 933/1 रकबा क्रमशः 0.23, 0.47, 0.17 में स्थित साजा वृक्षों की कटाई करने अनुमति चाहा है।

आवेदित भूमि का राजस्व एवं वनविभाग के अधिकारी का संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। उपरोक्त निर्देशानुसार स0प0अ0 मोहदी द्वारा राजस्व अधिकारी पटवारी के साथ संयुक्त मौका सत्यापन स्थल निरीक्षण कर मौके पर स्थित वृक्षों का नापजोख एवं मार्किंग रिकार्ड गणना किया गया।

स0प0अ0 मोहदी से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन प्रारूप - 'घ' एवं मार्किंग रिकार्ड बुक अनुसार आवेदक के भूमि खसरा नं. 630/1, 649/1, 933/1 रकबा 0.23, 0.47, 0.17 खेत में विभिन्न गोलाई वर्ग 31 नग साजा वृक्ष स्थित है। जिसकी कृषि उद्देश्य से आवेदक कटाई करना चाहता है।

अतएव उक्त सागौन वृक्ष का मार्किंग कर मय गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है। फार्म फेक्टर गणना पत्रक अनुसार निम्नानुसार अनुमानित लकड़ी प्राप्त होगा:-

क्र.	गोलाई वर्ग	वृक्ष संख्या	फार्म फेक्टर IVA		अनुमानित उत्पादन		योग (घमी)
			ईमारती	जलाऊ	ईमारती(घमी)	जलाऊ (घमी)	
1	46/60	02	0.070	0.018	0.140	0.036	0.176
2	61-90	08	0.18	0.045	1.44	0.36	1.800
3	91-120	19	0.35	0.088	6.65	1.672	8.322
4	121-150	02	0.53	0.133	1.06	0.266	1.326
	Total	31			9.29	2.334	11.624

अतः उपरोक्तानुसार आवेदन वृक्ष कटाई की अनुशंसा सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ सादर संप्रेषित है। कृपया कृषक हित में वृक्ष कटाई की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न :- संयुक्त स्थल सत्यापन प्रतिवेदन मार्किंग रिकार्ड मय फार्म फेक्टर गणना पत्रक

परिक्षेत्र अधिकारी  
उत्तर सिंगपुर

क्रमांक/उ.सिंगपुर/मोहदी/ 963

दिनांक 20/06/2025

प्रतिलिपी :- तहसीलदार मगरलोड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परिक्षेत्र अधिकारी  
उत्तर सिंगपुर

प्ररूप-घ  
[नियम 7 (1) देखिये]  
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

अनुविभाग पुरन्दर जिला धमतरी छा.ग.

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन ।  
संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 1266

दिनांक 15/05/25

संदर्भित आदेश के अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 11/06/2025 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे-

- (क) आवेदक एवं उसके नातेदार हेल्दु कुमार साहू - मोहन राम साहू  
(ख) सरपंच/पंच देवकरन सिंग  
(ग) पटवारी/कोटवार कुमुद साहू  
(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी सादकराम यादव

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खाते में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या .....  
(ख) खाते पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या 31 जंगल साक्षी  
(ग) पूर्व में इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुशंसा दिनांक ..... को दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

- (क) खाते के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या .....  
(ख) खाते के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या साक्षी 31 जंगल  
(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या .....  
(घ) नियम 2 की लागू कंडिका,

यदि कोई हो .....

(ड.) अन्य विवरण .....

राजस्व अधिकारी का नाम,  
पदनाम

हस्ताक्षर .....

कुमुद साहू  
पटवारी  
ह. नं. 17  
तहसील - धमतरी

वन अधिकारी का नाम, मुकुन्दराव वासे  
पदनाम उपवन क्षेत्रपाल  
हस्ताक्षर मुकुन्दराव वासे  
सहायक परिक्षेत्र अधिकारी  
बोहदी

प्ररूप-घ  
[नियम 8(1) देखिये]

कृषि के रूप में रोपित वृक्षों को काटने की पूर्व-सूचना हेतु सूचना-पत्र

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  
अनुभाग कुरुक्षेत्र जिला हमनगढ़ छत्तीसगढ़।

विषय- भूमिस्वामी की भूमि में रोपित वृक्षों की कटाई हेतु सूचना पत्र।

महोदय,

मे शिव कुमार साहू पिता/पति का नाम देवनाथ साहू  
24/2 ग्राम केल्वेरा पटवारी हल्का नंबर 47 तहसील हमनगढ़ थाना ममरुल  
जिला हमनगढ़ छत्तीसगढ़ अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 630/1 ग्राम केल्वेरा में पूर्व में  
कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई करना चाहता हूँ। धोरा निम्नानुसार है :- 933/1 649/1

- (1) काटे जाने वाले वृक्षों की प्रजाति सा.ज.  
(2) काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या (क्रमशः) 31 वृक्ष

इस सूचना पत्र की पावती तिथि को प्रथम दिन माना जाकर, इस दिन से 30 कार्यदिवस पूर्ण होने तक सक्षम अधिकारी के द्वारा कोई रोक नहीं लगाये जाने पर, उक्त अवधि व्यतीत होने के पश्चात् मेरे द्वारा उपरोक्त वृक्षों की कटाई प्रारंभ की जायेगी।

काटे गये वृक्षों का, छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत विरहित छत्तीसगढ़ अभियंता (वनोपज) नियम, 2001 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार परिवहन किया जायेगा।

- संलग्न- (1) पंजीयन संबंधित राजस्व अभिलेख (पांचसाला खसरा) की प्रति  
(2) स्वघोषणा पत्र

स्थान केल्वेरा  
दिनांक .....

शिव कुमार साहू  
(भूमिस्वामी के हस्ताक्षर)

- प्रतिलिपि-  
1. कलेक्टर जिला हमनगढ़  
2. वनमंडलाधिकारी हमनगढ़  
3. वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र उत्तर सिंगपुर जिला हमनगढ़ (छत्तीसगढ़)

शिव कुमार साहू  
(भूमिस्वामी के हस्ताक्षर)

# मार्किंग रिकार्ड बुक

कूप के लिए

रजि. क्र. 12/2015/0 देवद्वारायण गा. 15 गा. 15

क्र.	छाती गोलाई (9-34) मीटर पर	हालात कामी या जलाऊ	पातन नम्बर	विवरण	मार्किंग नम्बर (हाथ से)	प्रजाति	छाती गोलाई (9-34) मीटर पर	हालात कामी या जलाऊ	पातन नम्बर	विवरण
1	80				24	-11-	84			
2	1.30				25	-11-	1.30			
3	80				26	-11-	1.10			
4	1.10				27	-11-	1.10			
5	1.30				28	-11-	1.30			
6	1.10				29	-11-	1.08			
7	1.10				30	-11-	80			
8	1.04				31	-11-	1.10			
9	82				गोशवाय					
10	1.10				31/80	31/45	06/60	61/90	वा/120	12/150
11	1.30						02	08	19	02
12	80						= 9.934 एक मी.			
13	1.06									
14	90									
15	60									
16	1.30									
17	1.30									
18	94									
19	1.20									
20	60									
21	1.10									
22	1.10									
23	1.40									

परिसर रबी मोहदी

सहायक परिक्षण अधिकारी मोहदी